

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2014/श्रावण 29, 1936

No. 432]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2014/SHRAVANA 29, 1936

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 597(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 5 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों) नियम, 2014 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—  
(क) “अधिनियम” से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है ;  
(ख) “पूर्णकालिक सदस्य” से अधिनियम की धारा 4 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकरण के सदस्य के अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत हैं ;  
(ग) उन पदों और शब्दों, के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

